

विवरुणिका

2010-11

PROSPECTUS



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम १९९०, क्रमांक ३ के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

मानस मन्दिर पोस्ट ऑफिस, गांधी हिल्स, वर्धा-442 001 (महाराष्ट्र)

फोन : (07152) 251661, फोन-फैक्स : 230 903

ई-मेल : info@hindivishwa.org, वेबसाइट : www.hindivishwa.org

विवरणिका शुल्क : [एम.ए./एम.फिल./पीएच.डी.]

1. सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग : ₹.200/-
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग : ₹.100/-
3. विदेशी अभ्यर्थियों के लिए : \$25 डालर



अनुक्रम

विवरण	पृष्ठ सं.
❖ कुलपति का संदेश	03
❖ विश्वविद्यालय : संक्षिप्त परिचय	04
❖ विश्वविद्यालय के अध्ययन-विद्यापीठ	05
❖ भाषा विद्यापीठ	06
❖ साहित्य विद्यापीठ	11
❖ संस्कृति विद्यापीठ	14
❖ अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ	21
❖ विदेशियों के लिए हिंदी पाठ्यक्रम	24
❖ आरक्षण	25
❖ प्रवेश संबंधी नियम	26
❖ विद्यार्थियों को दी जानेवाली सुविधाएँ	27
❖ आवेदन प्राप्ति और जमा करने का पता	28
❖ अकादमिक कैलेंडर	28
❖ 'लीला'	29
❖ कंप्यूटर प्रयोगशाला	29
❖ पुस्तकालय	29
❖ दूर शिक्षा कार्यक्रम	30
❖ शुल्क का विवरण	32
❖ विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण	35
❖ आवेदन प्रपत्र (एम.ए./एम.फिल.)	--
❖ आवेदन प्रपत्र (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/एडवांस्ड डिप्लोमा)	--
❖ आवेदन प्रपत्र पीएच.डी.	--
❖ प्रवेश-पत्र (एम.ए./एम.फिल./पीएच.डी.)	--



कुलपति का संदेश



श्री विभूति नारायण राय, कुलपति

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के नए सत्र में आप सब का स्वागत है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य-ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों को हिंदी के माध्यम से बड़े समुदाय के लिए उपलब्ध कराना है। पारम्परिक विश्वविद्यालयों से भिन्न यह विश्वविद्यालय अपने छात्रों एवं शोधार्थियों के समक्ष हिंदी माध्यम से शोध एवं अध्ययन के नये क्षितिज खोल रहा है। इस सत्र में महिला छात्रावास पूरी तरह से उपयोग के लिए तैयार मिलेगा। इसके अतिरिक्त फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास का भवन भी उपयोग में आने लगा है। गोरख पांडे छात्रावास तथा बिरमा मुंडा छात्रावास, जो पुरुष छात्रों के लिए बन रहे हैं, भी इस सत्र में पूरी तरह से उपयोग में आने लगेंगे। अनुवाद और निर्वचन विद्यापीठ का भवन पिछले सत्र से ही उपयोग में आ रहा है। इस सत्र में भाषा तथा संस्कृति विद्यापीठ के भवन भी उपयोग में आने लगेंगे। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय का भवन भी इस सत्र से छात्रों एवं अध्यापकों के उपयोग में आने लगेगा। आशा है कि नए सत्र में विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य-अध्यापक, छात्र तथा शिक्षकेतर कर्मचारी इसे नयी ऊँचाइयों तक ले जाएँगे। इस सत्र में अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के अंतर्गत डायस्पोरा विभाग प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें शिक्षकों की उपलब्धता के बाद एम.फिल डायस्पोरा अध्ययन एवं पीएच.डी डायस्पोरा अध्ययन शुरू किए जाएँगे।

Vibhuti Narayan Ray
 18/02/10
 विभूति नारायण राय
 कुलपति

विश्वविद्यालय : संक्षिप्त परिचय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भारत की संसद द्वारा 1996 ई. में पारित अधिनियम के अंतर्गत 1997 ई. में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। देश का यह पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि सेवाग्राम (वर्धा) से छह किलोमीटर दूर मुम्बई-नागपुर हाइवे पर उमरी गाँव के निकट पंचटीला पर अवस्थित है। निर्माणाधीन **विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल लगभग 212 एकड़** है।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना सुदीर्घ प्रयत्नों का सुफल है। हिंदी भाषा और साहित्य की उत्तरोत्तर उन्नति के साथ ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों में अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण के समर्थ माध्यम के रूप में हिंदी का सम्यक् विकास इसका प्रधान लक्ष्य है। देश-दुनिया की भाषाओं के साथ हिंदी के तुलनात्मक अध्ययन तथा उनसे अधुनातन अनुशासनों की अद्यतन ज्ञान-सामग्री का हिंदी में अनुवाद और विकास भी विश्वविद्यालय की वरीय प्राथमिकता है। वर्तमान बहुभाषा-भाषी विश्व में एक समर्थ-संपन्न अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की पहचान विश्वविद्यालय की प्रथम प्रतिश्रुति है।

इस विश्वविद्यालय में आवासीय परिसर के साथ साइबर परिसर की सह-परिकल्पना की गई है। इसके लिए आधुनिकतम तकनीकी उपादानों को संयोजित किया गया है। साइबर परिसर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट (website) के माध्यम से क्रियात्मक बनाया जा रहा है। पारंपरिक पुस्तकालय के साथ डिजिटल पुस्तकालय का विकास भी विश्वविद्यालय की योजना का अंग है। मौलिक और मानक-ग्रंथों का प्रकाशन, दुर्लभ पांडुलिपियों, चित्रों, दस्तावेजों आदि का संग्रह, विश्वकोशों और संदर्भ-कोशों का निर्माण आदि विश्वविद्यालय की अनूठी योजनाएँ हैं।

विद्यापीठ

अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अध्ययन-विद्यापीठ हैं :—

1) **भाषा विद्यापीठ** [इसके अंतर्गत निम्नलिखित विभागों/केंद्रों की स्थापना की गई है]

- (क) भाषा-प्रौद्योगिकी विभाग
- (ख) कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान विभाग
- (ग) प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र
- (घ) भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र

2) **साहित्य विद्यापीठ**

- (क) साहित्य विभाग
- (ख) नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन विभाग

3) **संस्कृति विद्यापीठ** [इसके अंतर्गत निम्नलिखित विभागों/केंद्रों की स्थापना की गई है]

- (क) अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग
- (ख) स्त्री अध्ययन विभाग
- (ग) जनसंचार विभाग
- (घ) मानवविज्ञान विभाग
- (च) बाबा साहेब अम्बेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र
- (छ) महात्मा गांधी फ्यूजी-गुरुजी शांति अध्ययन केंद्र
- (झ) डॉ भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध-अध्ययन केंद्र

4) **अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ**

- (क) अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग
- (ख) डायस्पोरा अध्ययन विभाग

पाठ्यक्रम

1. भाषा विद्यापीठ

आज की रोजगारोन्मुख एवं प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को देखते हुए हिंदी भाषा को एक नवीन दृष्टि और दिशा देना महत्त्वपूर्ण हो गया है, चाहे वह भाषा का सैद्धांतिक दृष्टिकोण हो या अनुप्रयोगात्मक क्षेत्र अथवा अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी पक्ष। इनसे जुड़े बिना आज हिंदी भाषा का समुचित विकास तथा संवर्धन संभव नहीं हो सकता। इस अवधारणा को केंद्र में रखते हुए हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भाषा विद्यापीठ की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विभाग/केंद्र स्थापित किए गए हैं।

- ❖ भाषा-प्रौद्योगिकी विभाग
- ❖ कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान विभाग
- ❖ प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र
- ❖ भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र

1.1 भाषा-प्रौद्योगिकी विभाग

भूमंडलीकरण के इस युग में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी को प्रौद्योगिकी से जोड़कर हिंदी के सर्वांगीण विकास हेतु एम.ए. हिंदी (भाषा-प्रौद्योगिकी), एम.फिल. हिंदी (भाषा-प्रौद्योगिकी), पीएच.डी. हिंदी (भाषा-प्रौद्योगिकी) जैसे पाठ्यक्रमों का संचालन इस विभाग के अंतर्गत हो रहा है।

1.1.1 एम.ए. हिंदी (भाषा-प्रौद्योगिकी)

यह दो वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम है जिसके अंतर्गत हिंदी भाषाविज्ञान के सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त क्षेत्र यथा— भाषा, भाषा-परिवार, स्वनविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान, अर्थविज्ञान, शैलीविज्ञान, कोशविज्ञान, भाषाशिक्षण, अनुवाद-विज्ञान, समाजभाषाविज्ञान, मनोभाषाविज्ञान, भाषा-प्रौद्योगिकी की अवधारणा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, प्राकृतिक भाषा संसाधन आदि का अध्ययन किया जाता है।

64 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम चार छमाहियों में पूर्ण होता है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है, जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का होता है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता : किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 50 % (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45 %) अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (1 0 +2 +3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण।

1.1.2 एम.फिल. हिंदी (भाषा-प्रौद्योगिकी)

इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शोध-प्रविधि, भाषाशिक्षण, प्रयोजनमूलक हिंदी, भाषा-प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, प्राकृतिक भाषा संसाधन एवं अनुप्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थी अपना लघु शोधप्रबंध लेखन कार्य सैद्धांतिक भाषाविज्ञान या अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में कर सकता है।

यह एक वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम 22 क्रेडिट का होता है, जो दो छमाहियों में पूर्ण होता है। प्रथम छमाही में नियमित कक्षाएँ होगी, जिसमें 12 क्रेडिट के तीन प्रश्नपत्र होंगे और द्वितीय छमाही में विद्यार्थी 8 क्रेडिट का लघु शोध-प्रबंध पूर्ण करेंगे और 2 क्रेडिट की मौखिक परीक्षा होगी। इस पाठ्यक्रम में कुल 14 सीटें हैं।

योग्यता : भाषाविज्ञान/अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान/भाषा-प्रौद्योगिकी/अनुवाद प्रौद्योगिकी/कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में न्यूनतम 55 % (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 %) अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (एम.ए.) परीक्षा उत्तीर्ण।

1.1.3 पीएच.डी. हिंदी (भाषा-प्रौद्योगिकी)

यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के (एम.फिल/पीएच.डी. उपाधि के लिए) न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार संचालित है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थी सैद्धांतिक भाषाविज्ञान या अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में अपना शोधकार्य कर सकता है।

योग्यता : (क) भाषाविज्ञान/अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान/भाषा-प्रौद्योगिकी/अनुवाद प्रौद्योगिकी/कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में न्यूनतम 55 % (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 %) अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (एम.ए.) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

(ख) किसी भी अन्य अनुशासन में न्यूनतम 55 % (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 50 %) अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं भाषाविज्ञान/अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान/भाषा-प्रौद्योगिकी/अनुवाद प्रौद्योगिकी/कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में एम.फिल. परीक्षा उत्तीर्ण।

वांछनीय योग्यता : योग्यता (क) में निर्दिष्ट विषयों में एम.फिल./जे.आर.एफ./नेट/अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण।

1.2 कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान विभाग

हिंदी भाषा को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हुए अन्य प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रौद्योगिकी संस्थाओं की मांग को देखते हुए इस विषय पर गंभीर अध्ययन व शोध के साथ-साथ विषय के प्रति प्रतिबद्धता पैदा करने के उद्देश्य से यह विभाग स्थापित किया गया है। इस विभाग के अंतर्गत संप्रति एम.ए. (कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स) है तथा एम.फिल. (कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स), पीएच.डी. (कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स) पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं।

1.2.1 एम.ए. (कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स)

यह दो वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम है जिसके अंतर्गत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त क्षेत्र यथा—कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, प्राकृतिक भाषा संसाधन आदि का अध्ययन किया जाता है।

64 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम चार छमाहियों में पूर्ण होता है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है, जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का होता है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता : किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 50 % (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 45 %) अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (1 0 +2 +3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण।

1.3 प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र

प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र (भाषा-प्रौद्योगिकी, अनुवाद प्रौद्योगिकी, सूचना-प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला) विश्वस्तरीय उच्चमानकता के साथ कंप्यूटर विज्ञान, सूचना-प्रौद्योगिकी एवं इनके अनुप्रयुक्त क्षेत्र में प्रशिक्षण देने तथा गहन शोधकार्य करने हेतु अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशाला के द्वारा भाषा-प्रौद्योगिकी, अनुवाद प्रौद्योगिकी और

सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध एवं विकास की दृष्टि से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए समर्पित हैं। इस केंद्र की प्राथमिकता विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विकास से संबंधित शिक्षा के अन्य अनुशासनों को मदद देने तथा ई-कॉन्स एवं ई-कल्चर को बढ़ावा देना भी है। इस केंद्र में स्नातकोत्तर एवं शोधस्तरीय तथा सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमास्तरीय पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

1.3.1 मास्टर ऑफ इन्फॉरमेटिक्स एन्ड लैंग्वेज इंजीनियरिंग (एम.आई.एल.ई.)

इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा से जुड़े सूचना एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा को लेकर नई अवधारणा का विकास करना है। इस पाठ्यक्रम में भाषा-अभियांत्रिकी एवं सूचना-प्रौद्योगिकी से संबद्ध विविध प्रयोगात्मक क्षेत्रों के अध्ययन पर बल दिया जाएगा। 64 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम चार छमाहियों में पूर्ण होता है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है, जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का होता है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता : (क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना-प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 50 % (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45 %) अंकों के साथ स्नातक (10+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य।

अथवा

(ख) योग्यता (क) में निर्दिष्ट अनुशासन को छोड़कर अन्य किसी भी अनुशासन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 % (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45 %) अंकों के साथ स्नातक (10+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण एवं कंप्यूटर एप्लिकेशन/सूचना-प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।

1.3.2 पीएच.डी.(इन्फॉरमेटिक्स एन्ड लैंग्वेज इंजीनियरिंग)

यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए) न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार संचालित है। यह पाठ्यक्रम सूचना-प्रौद्योगिकी एवं भाषा-अभियांत्रिकी से संबद्ध क्षेत्रों में अधुनातन शोध को प्रोत्साहित करने एवं नई अवधारणाओं का विकास करने हेतु प्रतिबद्ध है।

योग्यता : (क) प्रोग्रामिंग भाषा की जानकारी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स/ भाषा-प्रौद्योगिकी/ अनुवाद प्रौद्योगिकी में एम.ए. अथवा एम.आई.एल.ई में न्यूनतम 55 % (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 %) अंकों के साथ उत्तीर्ण।

अथवा

(ख) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भाषाविज्ञान/अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान में एम.ए. न्यूनतम 55 % (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 %) अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं कंप्यूटर विज्ञान/सूचना-प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा।

अथवा

(ग) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान/सूचना-प्रौद्योगिकी में एम.टेक./ एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.) न्यूनतम 55 % (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 %) अंकों के साथ उत्तीर्ण।

वांछनीय योग्यता : योग्यता (क) में निर्दिष्ट विषयों में एम.फिल./जे.आर.एफ./नेट/अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण।

सर्टिफिकेट/डिप्लोमा

प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र द्वारा प्रौढ़ सतत शिक्षा विस्तार एवं सुदूर क्षेत्र केंद्र के सहयोग से निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

1.3.3 सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लिकेशन (सी.सी.ए.)

यह एक अंशकालिक पाठ्यक्रम है, जो 16 क्रेडिट का होता है जिसमें 4-4 क्रेडिट के तीन प्रश्न-पत्र एवं 4 क्रेडिट का परियोजना-कार्य होता है।

योग्यता : किसी भी अनुशासन में 10+2 उत्तीर्ण।

1.3.4 डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन (डी.सी.ए.)

यह एक वर्षीय अंशकालिक पाठ्यक्रम है, जो दो छमाही में पूर्ण होता है। 32 क्रेडिट के इस पाठ्यक्रम की प्रथम छमाही (सी.सी.ए.) में 16 क्रेडिट एवं द्वितीय छमाही में 16 क्रेडिट होते हैं, जिसमें 4-4 क्रेडिट के दो प्रश्न-पत्र एवं 8 क्रेडिट का एक परियोजना-कार्य होता है।

योग्यता : डी.सी.ए. के लिए सी.सी.ए. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

1.4. भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र

यह केंद्र भारतीय एवं विदेशी भाषाओं एवं पारंपरिक संस्कृति की शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के अनुरूप भारतीयों तथा विदेशियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस केंद्र के अंतर्गत निम्नलिखित सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

1.4.1. मराठी भाषा में डिप्लोमा

शैक्षणिक योग्यता :- 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण
अवधि :- 6 माह

1.4.2. तमिल भाषा में डिप्लोमा

शैक्षणिक योग्यता :- 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण
अवधि :- 6 माह

1.4.3. उर्दू भाषा में डिप्लोमा

शैक्षणिक योग्यता :- 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण
अवधि :- 6 माह

1.4.4 फ्रेंच भाषा

⇒ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

शैक्षणिक योग्यता :- 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।
अवधि :- 6 माह

⇒ डिप्लोमा पाठ्यक्रम

शैक्षणिक योग्यता :- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से फ्रेंच भाषा में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण
अवधि :- 6 माह

⇒ **एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
 शैक्षणिक योग्यता :- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण
 अवधि :- ०१ वर्ष

1.4.5. चीनी भाषा

⇒ **सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम**
 शैक्षणिक योग्यता :- १०+२ परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
 अवधि :- ६ माह

⇒ **डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
 शैक्षणिक योग्यता :- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से चीनी भाषा में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण
 अवधि :- ६ माह

⇒ **एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
 शैक्षणिक योग्यता :- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से चीनी भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण
 अवधि :- ०१ वर्ष

1.4.6. स्पेनिश भाषा

⇒ **सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम**
 शैक्षणिक योग्यता :- १०+२ परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
 अवधि :- ६ माह

⇒ **डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
 शैक्षणिक योग्यता :- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्पेनिश भाषा में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण
 अवधि :- ६ माह

⇒ **एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
 शैक्षणिक योग्यता :- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्पेनिश भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण
 अवधि :- ०१ वर्ष

1.4.7 जापानी भाषा

(अध्यापक की उपलब्धता के अनुसार शुरू किया जाएगा।)

⇒ **सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम**
 शैक्षणिक योग्यता :- १०+२ परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
 अवधि :- ६ माह



2. साहित्य विद्यापीठ

विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत मान्य चार विद्यापीठों में से साहित्य विद्यापीठ एक प्रमुख विद्यापीठ है। हिंदी साहित्य का भारतीय तथा विश्व भाषाओं के साहित्य के साथ संवाद, तुलनात्मक अध्ययन एवं शोध इस विद्यापीठ का प्रधान लक्ष्य है।

विद्यापीठ की मूल संकल्पना देश-दुनिया के भाषायी एवं साहित्यिक वैविध्य के पीछे सक्रिय समान मानवीय मस्तिष्क और उसकी सृजनशीलता में साम्य की धारणा पर अवलम्बित है। भाषा और साहित्य अनेक और बहुविध हैं, किन्तु उनका सर्जक मानस और आस्वादक चित्त अपने संस्कारों के भेद के बावजूद बुनियादी प्रकृति में एक-सा है। इस कारण विभिन्न भाषाओं के साहित्य के बीच संवाद की अपार सम्भावनाएँ हैं। इन सम्भावनाओं का सन्धान और शोध विद्यापीठ की वरीय प्राथमिकता है। इससे अकादमिक उद्देश्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय भावात्मक एकता तथा मानवीय सह-भाव भी सम्पुष्ट होता है।

साहित्य समावेशी (सर्वाश्लेषी) विद्या है। ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों और कलाओं के साथ उसका घनिष्ठ एवं प्रगाढ़ सम्बन्ध परम्परा से ही सर्वविदित है। इधर विकसित नयी प्रौद्योगिकी और तज्जनित विभिन्न माध्यमों से भी साहित्य का अपरिहार्य सम्बन्ध विकसित हुआ है। इस दृष्टि से अंतरानुशासनिक अध्ययन एवं शोध भी साहित्य विद्यापीठ की प्रतिश्रुति है।

साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत निम्नलिखित दो विभाग संचालित है :-

1. साहित्य विभाग
2. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन विभाग

साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत साहित्य विभाग में हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) के एम.ए., एम.फिल. एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम संचालित हैं। इसके अलावा विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का बी.ए. पाठ्यक्रम, तुलनात्मक भारतीय साहित्य और हिन्दुस्तानी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं।

नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन विभाग के अंतर्गत एम.ए. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन पाठ्यक्रम प्रारंभ है। यथासमय एम.फिल. एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम भी प्रस्तावित होंगे।

2.1 साहित्य विभाग

2.1.1 एम.ए. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य)

एम.ए. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) दो वर्षीय पाठ्यक्रम है जो चार छमाहियों में पूरा होता है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन प्रविधि के साथ हिंदी साहित्य के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के साहित्य एवं विश्व साहित्य का अध्ययन शामिल है। चार छमाहियों का यह नियमित पाठ्यक्रम 64 क्रेडिट का है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम में इस सत्र में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता : किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (10+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45%)

2.1.2 एम.फिल. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य)

एम.फिल. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) एक वर्ष का पाठ्यक्रम है जो दो छमाहियों में पूरा होता है। पहली छमाही

में तीन प्रश्न-पत्र हैं। दूसरी छमाही में एक लघुशोध प्रबन्ध प्रस्तुत करना होगा और एक मौखिक परीक्षा भी ली जाएगी। पूरा पाठ्यक्रम 22 क्रेडिट का है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र 12 क्रेडिट के होंगे और दूसरी छमाही में लघु शोध-प्रबंध 8 क्रेडिट और मौखिक परीक्षा 2 क्रेडिट की होगी। इस पाठ्यक्रम में इस सत्र में कुल 14 सीटें हैं।

योग्यता : सम्बद्ध अनुशासन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%)

सम्बद्ध अनुशासन :

हिंदी (तुलनात्मक साहित्य)/हिंदी अथवा अन्य कोई साहित्य/संगीत/ललित कलाएँ/नाटक/तुलनात्मक साहित्य/मानविकी के अंतर्गत अन्य विषय (समाज विज्ञानों को छोड़कर)।

2.1.3 पीएच.डी. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी.) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार यह पाठ्यक्रम संचालित है। हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) के अंतर्गत सत्र : 2006-07 से पीएच.डी. पाठ्यक्रम चल रहा है। पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 02 और अधिकतम 05 वर्ष है।

योग्यता :

सम्बद्ध अनुशासन में न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%)

वांछनीय :

सम्बद्ध अनुशासन में एम.फिल./जे.आर.एफ./नेट/स्लेट या यू.जी.सी. द्वारा मान्य अन्य राष्ट्रीय परीक्षा।

सम्बद्ध अनुशासन :

हिंदी (तुलनात्मक साहित्य)/हिंदी अथवा अन्य कोई साहित्य/संगीत/ललित कलाएँ/नाटक/तुलनात्मक साहित्य/मानविकी के अंतर्गत अन्य विषय (समाज विज्ञानों को छोड़कर)।

2.2 स्नातकोत्तर डिप्लोमा : तुलनात्मक भारतीय साहित्य

यह एक वर्ष का पाठ्यक्रम है जो दो छमाहियों में पूरा होगा। पहली छमाही में चार प्रश्नपत्र होंगे तथा दूसरी छमाही में भी चार प्रश्नपत्र होंगे। दूसरी छमाही में दो प्रश्नपत्रों के साथ परियोजना-कार्य और मौखिकी भी पाठ्यचर्या का अंग होगी। सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 32 क्रेडिट का होगा। इस सत्र में प्रवेश हेतु कुल 10 सीटें होंगी।

योग्यता एवं प्रवेश :

50% अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45% अंक)। साहित्य, कला और मानविकी अनुशासनों से सम्बद्ध अभ्यर्थियों को वरीयता। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रम के साथ भी लिया जा सकता है। प्रवेश सीधे मेरिट और साक्षात्कार पर आधारित।

2.3. स्नातकोत्तर डिप्लोमा : हिन्दुस्तानी

योग्यता एवं प्रवेश :

किसी भी अनुशासन में 50% अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45% अंक)। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रम के साथ भी लिया जा सकता है। प्रवेश सीधे मेरिट और साक्षात्कार पर आधारित।

2.4 नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन विभाग

विवरणिका २०१०-११

2.4.1 एम.ए. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन

यह दो वर्षीय पाठ्यक्रम है जो चार छमाहियों में पूरा होता है। चार छमाहियों का यह नियमित पाठ्यक्रम 64 क्रेडिट का है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम में इस सत्र में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता : किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (10+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण। **(अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45%)**

प्रवेश प्रक्रिया में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली अथवा भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के नाट्य अथवा फिल्म संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी बिना लिखित परीक्षा के सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे।



विवरणिका २०१०-११ 3. संस्कृति विद्यापीठ विवरणिका २०१०-११

इस विद्यापीठ के अंतर्गत ज्ञान के प्रचलित अनुशासनों यथा—मानविकी व समाज विज्ञान से जुड़े अंतर-अनुशासनात्मक विषय के रूप में निम्नलिखित विभागों में निम्नांकित पाठ्यक्रम चल रहे हैं :-

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग :

- (1) एम.ए. अहिंसा एवं शांति अध्ययन
- (2) एम.फिल. अहिंसा एवं शांति अध्ययन
- (3) पीएच.डी. अहिंसा एवं शांति अध्ययन

स्त्री अध्ययन विभाग :

- (1) एम.ए. स्त्री अध्ययन
- (2) एम.फिल. स्त्री अध्ययन
- (3) पीएच.डी. स्त्री अध्ययन
- (4) स्त्री अध्ययन में पी.जी. डिप्लोमा

जनसंचार विभाग :

- (1) एम.ए. जनसंचार
- (2) एम.फिल. जनसंचार
- (3) पीएच.डी. जनसंचार

मानव विज्ञान विभाग :

- (1) एम.ए. मानव विज्ञान
- (2) एम.फिल. मानव विज्ञान
- (3) पीएच.डी. मानव विज्ञान
- (4) फारेंसिक साइंस में पी.जी. डिप्लोमा

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र :

- (1) एम.ए. दलित एवं जनजाति अध्ययन
- (2) एम.फिल. दलित एवं जनजाति अध्ययन

महात्मा गांधी फ्यूजी-गुरुजी शांति अध्ययन केंद्र :

- (1) एम.एस.डब्ल्यू
- (2) एम.फिल. समाज कार्य

डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र :

- (1) एम.ए. बौद्ध अध्ययन
- (2) बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- (3) पालि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

3.1 अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग

3.1.1 एम.ए. अहिंसा एवं शांति अध्ययन

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग भारत के सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। अंतर अनुशासनिक पद्धति से तैयार यह पाठ्यक्रम राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान का ऐसा सम्मिलित अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो अब तक के ज्ञानानुशासनों को देखने व समझने की नई दृष्टि देता है। सभ्यता के विकास को देखने की वैकल्पिक दृष्टि से लैस यह पाठ्यक्रम अपनी समग्रता में भारतभर के विश्वविद्यालयों में संभवतः पहला प्रयास है। पाठ्यक्रम का स्वरूप विश्वभर के सभी शांति अध्ययन

पाठ्यक्रमों से समतुल्यता के साथ एक विशिष्ट पहचान भी रखता है।

'ज्ञान' के समाजोपयोगी चरित्र के निर्वहन को प्रस्तुत यह विभाग अपने अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ शांति कार्यक्रमों के लिए एक सक्रिय हस्तक्षेप के लिए लगातार प्रयासरत है। यह पाठ्यक्रम चार छमाहियों में पूरा होता है। यह पाठ्यक्रम 64 क्रेडिट का है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता :

किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (10+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45%)

3.1.2 एम.फिल. अहिंसा एवं शांति अध्ययन

अहिंसा सम्बन्धी मूल्यों एवं सिद्धान्तों के प्रति गंभीर अध्ययन व शोध के साथ-साथ मानवता के लिए प्रतिबद्धता पैदा करने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का है जो दो छमाहियों में पूरा होता है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र होंगे। दूसरी छमाही में एक लघुशोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा तथा मौखिक परीक्षा भी ली जाएगी। पूरा पाठ्यक्रम 22 क्रेडिट का है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र कुल 12 क्रेडिट के होंगे और दूसरी छमाही में लघु शोधप्रबंध 8 क्रेडिट का तथा मौखिक परीक्षा 2 क्रेडिट की होगी। इस पाठ्यक्रम में कुल 14 सीटें हैं।

योग्यता :

सम्बद्ध अनुशासन/मानविकी या समाज विज्ञान की किसी भी विधा में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%)

3.1.3 पीएच.डी. अहिंसा एवं शांति अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी.) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार यह पाठ्यक्रम संचालित है। अहिंसा एवं शांति अध्ययन के अंतर्गत पीएच.डी. पाठ्यक्रम चल रहा है। पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 02 और अधिकतम 05 वर्ष है।

योग्यता :

सम्बद्ध अनुशासन में न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%)

वांछनीय : सम्बद्ध अनुशासन में एम.फिल./जे.आर.एफ./नेट/अन्य राष्ट्रीय परीक्षा।

3.2 स्त्री अध्ययन विभाग

3.2.1 एम. ए. स्त्री अध्ययन

हिंदी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्त्री विमर्श को विस्तार देने की दृष्टि से एम.ए. स्त्री अध्ययन में दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम चार छमाहियों में पूरा होता है। यह पाठ्यक्रम 64 क्रेडिट का है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता :

किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (10+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45%)

3.2.2 एम.फिल. स्त्री अध्ययन

एम.फिल. स्त्री अध्ययन पाठ्यक्रम एक वर्ष का है जो दो छमाहियों में पूरा होता है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र होंगे। दूसरी छमाही में एक लघुशोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा और मौखिक परीक्षा भी ली जाएगी। पूरा पाठ्यक्रम 22 क्रेडिट का है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र-1 2 क्रेडिट के होंगे और दूसरी छमाही में लघु शोधप्रबंध 8 क्रेडिट और मौखिक परीक्षा 2 क्रेडिट की होगी। इस पाठ्यक्रम में कुल 14 सीटें हैं।

योग्यता :

सम्बद्ध अनुशासन या समाज विज्ञान/मानविकी की किसी भी विधा में न्यूनतम 55 % अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 50 %)

3.2.3 पीएच.डी. स्त्री अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी.) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार यह पाठ्यक्रम संचालित है। इस पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 02 और अधिकतम 05 वर्ष है।

योग्यता :

सम्बद्ध अनुशासन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 %)

वांछनीय : सम्बद्ध अनुशासन में एम.फिल./जे.आर.एफ./नेट/अन्य राष्ट्रीय परीक्षा।

3.2.4 स्त्री अध्ययन में पी.जी. डिप्लोमा (अंशकालिक)

यह दो-वर्षीय अंशकालिक पाठ्यक्रम है।

योग्यता :

किसी भी अनुशासन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (1 0+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण।

3.3 जनसंचार विभाग

3.3.1 एम.ए. जनसंचार

भारतीय समाज में संचार के क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ा है और नयी-नयी जनसंचार प्रौद्योगिकियाँ आ रही हैं जिनमें हिंदी के प्रयोग और रोजगार की नये प्रकार की सम्भावनाएँ भी उद्भूत हो रही हैं।

जनसंचार पाठ्यक्रम इस दृष्टि से भी विशिष्ट है क्योंकि इसमें संप्रेषण-सिद्धान्त, जनसंचार के सिद्धान्त, संचार शोध, सांस्कृतिक संप्रेषण और अंतरराष्ट्रीय संचार के साथ-साथ मुद्रित और श्रव्य-दृश्य माध्यमों के लिए पत्रकारिता एवं तकनीकी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह पाठ्यक्रम चार छमाहियों में पूरा होता है। कुल 64 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम है। इसके साथ ही, कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता :

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक (1 0+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 45 %)

3.3.2 एम.फिल. जनसंचार

एम.फिल. जनसंचार पाठ्यक्रम एक वर्ष का है जो दो छमाहियों में पूरा होता है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र होंगे। दूसरी छमाही में एक लघुशोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा और एक मौखिक परीक्षा भी ली जाएगी। पूरा पाठ्यक्रम 22 क्रेडिट का है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र-1 2 क्रेडिट के होंगे और दूसरी छमाही में लघु शोधप्रबंध 8 क्रेडिट का और मौखिक परीक्षा 2 क्रेडिट की होगी। इस पाठ्यक्रम में कुल 14 सीटें हैं।

योग्यता :

सम्बद्ध अनुशासन में न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%)

3.3.3 पीएच.डी. जनसंचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी.) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार यह पाठ्यक्रम संचालित है। इस पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 02 और अधिकतम 05 वर्ष है।

योग्यता :

संबद्ध अनुशासन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%)

वांछनीय : सम्बद्ध अनुशासन में एम.फिल./जे.आर.एफ./नेट/अन्य राष्ट्रीय परीक्षा।

3.4 डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र

3.4.1 एम. ए. दलित एवं जनजाति अध्ययन

हिंदी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दलित तथा जनजातीय अध्ययन को विस्तार देने की दृष्टि से एम.ए. दलित एवं जनजाति अध्ययन में दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है जो चार छमाहियों में पूरा होता है। यह पाठ्यक्रम 64 क्रेडिट का है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता :

किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (10+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45%)

3.4.2 एम. फिल. दलित एवं जनजाति अध्ययन

एम.फिल. दलित एवं जनजाति अध्ययन पाठ्यक्रम एक वर्ष का है जो दो छमाहियों में पूरा होता है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र होंगे। दूसरी छमाही में लघुशोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा तथा मौखिक परीक्षा भी ली जाएगी। पूरा पाठ्यक्रम 22 क्रेडिट का है। पहली छमाही में तीन प्रश्न पत्र कुल 12 क्रेडिट के होंगे और दूसरी छमाही में लघु शोधप्रबंध 8 क्रेडिट और मौखिक परीक्षा 2 क्रेडिट की होगी। इस पाठ्यक्रम में कुल 14 सीटें हैं।

योग्यता :

किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%)

*एम.ए. दलित एवं जनजाति अध्ययन में उत्तीर्ण छात्रों को वरीयता दी जाएगी।

3.5 महात्मा गांधी फ्यूजी-गुरुजी शांति अध्ययन केंद्र

विवरणिका २०१०-११

3.5.1 एम.एस.डब्ल्यू.

समाज कार्य या समाज के लिए किया गया कार्य या समाज में किये गए कार्य का आकलन या समाजशास्त्रीय अध्ययन पर अनुप्रयोग ही समाज कार्य है। आधुनिकिकरण के साथ-साथ समाज में संस्थानीकरण की प्रक्रिया में कुछ नए मूल्य उमरे हैं। इस तीव्र परिवर्तनशील समाज में सामाजिक कार्य व्यवस्थित ज्ञान और दक्षता की मांग अनिवार्यता से करता है। समाज के साथ साथ समाज के लिए यह एक बड़ा कैनवास है, सुरुचिपूर्ण समाजोत्थान के लिये कार्य करने का! देश में प्रचलित मानकों के साथ चल रहा एम.एस.डब्ल्यू का यह पाठ्यक्रम राष्ट्रहित में एक चुनौती के साथ गांधी-जीवन मूल्य आप्लावन में स्वावलंबन की सीख दे रहा है। यह अध्ययन मात्र शास्त्रीय नहीं, कार्य व्यवहार का विशाल क्षेत्र निर्मित करता है जिससे जीवन और जीविका दोनों की सुरक्षा संभव हो जाती है।

यह दो-वर्षीय पाठ्यक्रम है जो चार छमाहियों में पूरा होता है। कुल 64 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता :

समाज कार्य/समाज विज्ञान/मानविकी में 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (10+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 45%)

3.5.2 एम. फिल समाज कार्य

एम.फिल. समाज कार्य पाठ्यक्रम एक वर्ष का है जो दो छमाहियों में पूरा होता है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र होंगे। दूसरी छमाही में लघुशोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा तथा मौखिक परीक्षा भी ली जाएगी। पूरा पाठ्यक्रम 22 क्रेडिट का है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र कुल 12 क्रेडिट के होंगे और दूसरी छमाही में लघु शोधप्रबंध 8 क्रेडिट और मौखिक परीक्षा 2 क्रेडिट की होगी। इस पाठ्यक्रम में कुल 14 सीटें हैं।

योग्यता :

समाज विज्ञान/मानविकी में 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। समाज कार्य में स्नातकोत्तर को वरीयता दी जाएगी। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%)

3.6 मानव विज्ञान विभाग

अकादमिक वर्ष 2009-10 में स्थापित यह विभाग पश्चिम भारत में मानवविज्ञान का दूसरा विभाग है। चूँकि मानवविज्ञान में जनजातीय अध्ययन बहुत प्रमुखता रखता है इसलिए विदर्भ क्षेत्र में स्थित यह विभाग विदर्भ की विशाल जनजातीय जनसंख्या पर महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा।

3.6.1 एम.ए. मानव विज्ञान

यह दो-वर्षीय पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम चार छमाहियों में पूरा होता है। कुल 64 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

विवरणिका २०१०-११

योग्यता :-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 % अंकों सहित किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण (अनु जाति/ अनु. जनजाति अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45 % अंकों सहित उत्तीर्ण)

3.6.2 एम. फिल. मानव विज्ञान

यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का है जो दो छमाहियों में पूरा होता है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र होंगे। दूसरी छमाही में एक लघुशोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा और एक मौखिक परीक्षा भी ली जाएगी। पूरा पाठ्यक्रम 22 क्रेडिट का है। पहली छमाही में तीन प्रश्न-पत्र-1 2 क्रेडिट के होंगे और दूसरी छमाही में लघु शोधप्रबंध 8 क्रेडिट का और मौखिक परीक्षा 2 क्रेडिट की होगी। इस पाठ्यक्रम में कुल 14 सीटें हैं।

योग्यता :-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 % अंकों सहित मानव विज्ञान/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण (अनु जाति/ अनु. जनजाति अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 50 % अंकों सहित उत्तीर्ण)

3.6.3. पीएच.डी. मानव विज्ञान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी.) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार यह पाठ्यक्रम संचालित है। मानव विज्ञान के अंतर्गत सत्र : 2009-10 से पीएच.डी. पाठ्यक्रम चल रहा है। पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 02 और अधिकतम 05 वर्ष है।

योग्यता :-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 % अंकों सहित मानव विज्ञान/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण (अनु जाति/ अनु. जनजाति अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 50 % अंकों सहित उत्तीर्ण)

वांछनीय :-

मानव विज्ञान/समाजशास्त्र में एम.फिल./जेआरएफ/नेट/समकक्ष राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण (एम.ए./एम.एस. सी मानव विज्ञान उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी)।

3.6.4 फारेंसिक साइंस में पी.जी. डिप्लोमा (1 वर्ष)

योग्यता

:- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण

वरीयता

:- कला, विज्ञान, मेडीसिन अथवा विधि उत्तीर्ण

3.7 डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध-अध्ययन केन्द्र

14 अप्रैल, 2004 में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जयन्ती के दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष व तत्कालीन कुलपति प्रो. जी. गोपीनाथन ने सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के हिंदी-प्रेम एवं भारतीय संविधान निर्माण में विशेष योगदान तथा भारत में बौद्ध धम्म को पुनर्जीवित करने के कार्य को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। दलितों तथा आदिवासियों के जीवनयापन एवं संस्कृति के अध्ययन तथा उनके विकास को नई दिशा प्रदान करने की व्यापक दृष्टि से विश्वविद्यालय में 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र' की आधारशिला भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रखी गई।

जिस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम विश्वविद्यालय से जुड़ा है, उसी प्रकार इस केंद्र के नाम के साथ डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन का नाम जुड़ा है तथा बौद्ध अध्ययन केंद्र डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन के नाम पर रखा गया है।

इस अध्ययन केन्द्र के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालयों से संयुक्त भूमिका के अंतर्गत केलानिया

विश्वविद्यालय (श्रीलंका) द्वारा भी सहयोग लिया जाएगा और बौद्धसाहित्य एवं बौद्धदर्शन पर लघु पाठ्यक्रमों का संयोजन किया जाएगा। दोनों विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों व अध्यापकों को सुविधा प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय अपने बौद्ध विद्वानों को अध्ययन केंद्र के अध्यापक तथा शोधार्थी भेजेंगे तथा हिंदी अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। बाह्य-अतिथियों को विश्वविद्यालय द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार आनेवाली पीढ़ियों के लिए यह अध्ययन केन्द्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक मिसाल कायम करता है। इस विभाग के अंतर्गत निम्न पाठ्यक्रम संचालित है।

3.7.1 एम.ए. बौद्ध-अध्ययन

हिंदी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध अध्ययन को विस्तार देने की दृष्टि से एम.ए. बौद्ध अध्ययन में दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम चार छमाहियों में पूरा होता है। यह पाठ्यक्रम 64 क्रेडिट का है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता :

किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (10+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45%)

3.7.2 बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अंशकालिक पाठ्यक्रम)

यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम है।

योग्यता : किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

3.7.3 पाली में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अंशकालिक पाठ्यक्रम)

यह दो छमाही का एक वर्षीय पाठ्यक्रम है।

योग्यता : किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।



4. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ

संक्षिप्त परिचय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ एक महत्त्वपूर्ण विद्यापीठ है जिसके उद्देश्य और लक्ष्य निम्नानुसार हैं।

- हिंदी को अनुवाद के माध्यम से सम्पन्न भाषा बनाकर इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अस्मिता की भाषा बनाना।
- अनुवाद विज्ञान को अंतर-अनुशासनिक ज्ञान के रूप में विकसित करना तथा मशीन अनुवाद का विकास करना।
- निर्वचन को आशु-अनुवाद की परिधि से फैलाकर एक स्वतंत्र ज्ञानानुशासन के रूप में विकसित करना।
- भारतीय संस्कृति एवं डायस्पोरा के विविध पक्षों पर शोध करना।
- अनुवाद विज्ञान को उपकरण के रूप में पर्यटन, भाषा शिक्षण, सिनेमा एवं प्रतिकांतरण आदि के क्षेत्रों में विकसित करना।
- भारतीय एवं पाश्चात्य श्रेष्ठ साहित्य का हिंदी में अनुवाद करना।
- हिंदी में अनूदित कृतियों का विश्लेषण, परीक्षण एवं मूल्यांकन कर अनुवाद की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- अनुवादकों का प्रशिक्षण तथा इनके कौशल के विकास हेतु कार्यशाला एवं पुनश्चर्या आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- अनुवाद से सम्बद्ध विभिन्न कोशों का निर्माण करना।

इस विद्यापीठ में संप्रति दो विभाग हैं। अनुवाद प्रौद्योगिक विभाग एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग जिनमें निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित हैं :-

(1) अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग

- एम.ए. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)
- एम.फिल. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)
- पीएच.डी. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा (हिंदी अनुवाद)

(2) डायस्पोरा अध्ययन विभाग

- एम.फिल. (हिंदी डायस्पोरा)
- पीएच.डी. (हिंदी डायस्पोरा)

इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य है :-

1. विभिन्न ज्ञान अनुशासनों में अनुवाद प्रक्रिया का विकास करना।
2. हिंदी से विदेशी एवं भारतीय भाषाओं में यंत्रानुवाद की प्रक्रिया का विकास करना।
3. निर्वचन को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित करना और इस दिशा में अनुसंधान करना।
4. विदेशी एवं भारतीय भाषाओं में हिंदी दुभाषिये तैयार करना।

5. अनुवाद को वर्तमान सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्रयोजनपरक प्रविधियों से जोड़ते हुए उसके व्यावहारिक पक्ष को विकसित करना।
6. भारतीय एवं वैश्विक परिदृश्य में हिंदी को अनुवाद के माध्यम से सम्पन्न भाषा बनाना।
7. अनुवाद अनुशासन को विदेशी और द्वितीय भाषा शिक्षण में एक प्रमुख उपकरण के रूप में विकसित करना।
8. प्रतीकान्तरण (Inter Semiotic Translation) का फिल्म, दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं रंगमंच आदि में विकास करना।
9. संस्कृति अनुरक्षण एवं डायस्पोरा अध्ययन का विकास करना।

4.1 अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग

4.1.1 एम.ए. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)

एम.ए. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी) का दो वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम चार छमाहियों में पूरा होता है। यह पाठ्यक्रम 64 क्रेडिट का है। इसके साथ ही कंप्यूटर का अध्ययन अनिवार्य है जो प्रत्येक छमाही में 2 क्रेडिट का है। इसके अतिरिक्त एक विदेशी भाषा का अध्ययन आवश्यक है। इस पाठ्यक्रम में कुल 28 सीटें हैं।

योग्यता :

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक (10+2+3 पाठ्यक्रम) परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 45%)
2. हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता।

4.1.2 एम.फिल. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)

एम.फिल. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रम एक वर्ष का होगा। पहली छमाही में नियमित कक्षाएँ होंगी व दूसरी छमाही में विद्यार्थी अपना लघु शोध-प्रबन्ध पूरा करेंगे। कुल 22 क्रेडिट के इस पाठ्यक्रम में 12 क्रेडिट के तीन प्रश्नपत्र होंगे और 8 क्रेडिट का लघु शोधप्रबन्ध और 2 क्रेडिट की मौखिक परीक्षा होगी। इस पाठ्यक्रम में कुल 14 सीटें हैं।

योग्यता :

सम्बद्ध अनुशासन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%)

4.1.3 पीएच.डी. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी.) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार यह पाठ्यक्रम संचालित है। पीएच.डी. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी) के अंतर्गत पीएच.डी. पाठ्यक्रम चल रहा है। पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 02 और अधिकतम 05 वर्ष है।

योग्यता :

सम्बद्ध अनुशासन में न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%)

वांछनीय :

सम्बद्ध अनुशासन में एम.फिल./जे.आर.एफ./नेट/स्लेट या यू.जी.सी. द्वारा मान्य अन्य राष्ट्रीय परीक्षा।

सम्बद्ध अनुशासन :

हिंदी, अनुवाद प्रौद्योगिकी, भाषा-विज्ञान।

4.1.4 स्नातकोत्तर डिप्लोमा (हिंदी अनुवाद)

एक वर्षीय (दो छमाही) का पाठ्यक्रम

योग्यता :

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि तथा हिंदी एवं अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान।

4.2 डायस्पोरा अध्ययन विभाग

यह एक अंतर अनुशासनिक विभाग है। जिसके अंतर्गत मानवशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं अन्य संबन्धित विषयों के आलोक में शोधार्थियों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण कराना है जहाँ वे विस्थापन एवं प्रवासी अध्ययन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन कर सकें।

इसके अंतर्गत सत्र 2010-11 से अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर एम.फिल. एवं पीएच.डी. डायस्पोरा अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है।

4.1.2 एम.फिल. डायस्पोरा अध्ययन

एम.फिल. डायस्पोरा अध्ययन पाठ्यक्रम एक वर्ष का होगा। पहली छमाही में नियमित कक्षाएँ होंगी व दूसरी छमाही में विद्यार्थी अपना लघु शोध-प्रबन्ध पूरा करेंगे। कुल 22 क्रेडिट के इस पाठ्यक्रम में 12 क्रेडिट के तीन प्रश्नपत्र होंगे और 8 क्रेडिट का लघु शोध-प्रबन्ध और 2 क्रेडिट की मौखिक परीक्षा होगी। इस पाठ्यक्रम में कुल 14 सीटें हैं।

योग्यता :

मानविकी अथवा समाज विज्ञान की किसी शाखा/अनुशासन में न्यूनतम 55% (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%) स्नातकोत्तर के साथ उत्तीर्ण।

4.1.3 पीएच.डी. डायस्पोरा अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी.) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार यह पाठ्यक्रम संचालित है। पीएच.डी. डायस्पोरा अध्ययन के अंतर्गत पीएच.डी. पाठ्यक्रम चल रहा है। पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 02 और अधिकतम 05 वर्ष है।

योग्यता :

मानविकी अथवा समाज विज्ञान की किसी शाखा/अनुशासन में न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%) स्नातकोत्तर/एम.फिल. उपाधि के साथ उत्तीर्ण।

डायस्पोरा अध्ययन में समुचित ज्ञान व जानकारी होने पर वरीयता दी जायेगी।

5. विदेशियों के लिए हिंदी पाठ्यक्रम

आवश्यकता/सरोकार/उद्देश्य

भारत एक बहुभाषी देश है। हिंदी यहाँ की मुख्य संपर्क भाषा है। भारत की यात्रा करते हुए विदेशी संप्रेषण को लेकर चिंतित होता है। यदि वह जानता है कि इस बहुभाषी देश में एक संपर्क भाषा संप्रेषण की समस्या को हल कर सकती है तो वह कम-से-कम, उस भाषा का कार्यकारी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और यदि वह विदेशी देश की संस्कृति में रुचि रखता है या उसके संबंध में अध्ययन करना चाहता है तो उसे उस भाषा-विशेष के अपेक्षाकृत गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

उपर्युक्त व्यावहारिक आवश्यकता ने विश्वविद्यालय को विदेशियों हेतु हिंदी के प्रयोजनमूलक, साहित्यिक और सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्रदान करने के लिए समुचित हिंदी पाठ्यक्रम आरंभ करने की प्रेरणा दी है।

विश्वभाषा हिंदी में डिप्लोमा, भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत एक वर्ष का पाठ्यक्रम है जो वर्ष 2007 से प्रारंभ किया गया है।

1. विश्वभाषा हिंदी में डिप्लोमा, भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत (एक वर्ष)।
2. विदेशियों के लिए तीन वर्ष का बी.ए. पाठ्यक्रम हिंदी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति, साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत।

5.1 विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश-प्रक्रिया

भारत में स्थित सभी विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश-परीक्षा देना आवश्यक है। यद्यपि प्रवेश होने की स्थिति में उनकी योग्यताओं की तुल्यता के आधार पर उनके प्रवेश पर विचार किया जाएगा और उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-

- (1) छात्र वीजा (2) चिकित्सा प्रमाण पत्र, यदि कोई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित हो।



1. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश-परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/पूर्वोत्तर प्रांत के अभ्यर्थियों को प्रवेश में यू.जी.सी./मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर लागू होनेवाले आरक्षण निर्देशों के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।
2. सेवा-निवृत्त सेना कर्मचारियों के वार्ड को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. डी.ओ./एफ.-19-8/2008-डेस्क (यू.), दिनांक 29.05.08 के अनुसार एवं कार्यपरिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 07.12.2008 में लिए गए निर्णयानुसार प्रवेश में 5% सीटों का आरक्षण रखा गया है।
3. केंद्रीय संस्थानों में सफाई-कर्मियों के वार्ड को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. डी.ओ./एफ.-19-15/2007-डेस्क (यू.), दिनांक 17.08.08 के अनुसार एवं कार्यपरिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 07.12.2008 में लिए गए निर्णयानुसार तकनीकी एवं उच्चशिक्षा निःशुल्क दी जाएगी।
4. कश्मीरी विस्थापितों को प्रवेश में आरक्षण तथा प्रवेश-तिथि के सन्दर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. डी.ओ./एफ.-10-1/2008-डेस्क (यू.), दिनांक 07.03.08 के अनुपालन में एवं कार्यपरिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 07.12.2008 में लिए गए निर्णयानुसार प्रवेश-तिथि में 30 दिन अधिक का समय, प्रवेश-परीक्षा के प्राप्तांक में 10% की छूट, पाठ्यक्रमवार सीटों की संख्या में 5% की वृद्धि, अधिवास प्रमाण के संबंध में अधित्याग करने एवं प्रव्रजन प्रमाण-पत्र में दूसरे वर्ष या उसके बाद जमा करने की छूट दी जाएगी।



(एम.ए./एम.फिल./पीएच.डी.)

- 01) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम.ए./एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता रखने वाले एवं पूर्णरूप से आवेदन-पत्र भरकर जमा करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा।
- 02) अर्हक परीक्षा में बैठने जा रहे अभ्यर्थियों की पात्रता :-
किसी विशेष पाठ्यक्रम की प्रवेश की पात्रता के रूप में निर्धारित अर्हक परीक्षा में बैठने जा रहे अभ्यर्थी इस स्पष्ट शर्त के साथ, अपने जोखिम पर प्रवेश-परीक्षा में बैठ सकते हैं कि उनके चयनित होने की स्थिति में वे प्रवेश के लिए तभी अधिकृत होंगे जब उन्होंने अर्हक परीक्षा में अंकों का निर्धारित न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत प्राप्त किया होगा और वे पंजीयन के लिए निश्चित समय-सीमा से पूर्व अर्हक परीक्षा के अंतिम अंक पत्रों सहित सभी दस्तावेज जमा करेंगे।
- 03) प्रवेश-प्रक्रिया (एम.ए. तथा एम.फिल.) क्रमशः दो चरणों में पूरी होगी :-
○ पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी। इसमें संबंधित विषय की सामान्य जानकारी/समझ से संबद्ध वस्तुनिष्ठ, लघु-उत्तरीय और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न होंगे।
○ दूसरे चरण में साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो प्रवेश के लिए आयोजित लिखित-परीक्षा में सफल होंगे।
- 04) पीएच.डी. हेतु प्रवेश तीन चरणों में होगा।
○ पहले चरण में लिखित परीक्षा (प्रथम चरण की परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही अन्य चरण की प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।)
○ द्वितीय चरण में Interactive Session (अंतरक्रियात्मक सत्र)/कार्यशाला
○ तृतीय चरण में साक्षात्कार होगा।
- 05) निर्धारित आवेदन प्रपत्र के आधार पर आवेदकों को मई/जून माह में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न केंद्र (वर्धा, भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता) में लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा (अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाने या घटाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।) तत्पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों को जुलाई माह में साक्षात्कार/परिचर्चा के लिए मुख्य परिसर, वर्धा में आमंत्रित किया जाएगा।
- 06) **माइग्रेशन :** प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को मूल प्रव्रजन प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। जो चयनित विद्यार्थी प्रवेश के दौरान किसी कारणवश प्रव्रजन प्रमाणपत्र जमा न करा सकें उन एम.ए./एम.फिल. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर परीक्षा से पूर्व उसे जमा कराना होगा अन्यथा परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीएच.डी. छात्रों को इसके लिए प्रवेशोपरांत एक माह तक का समय दिया जाएगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जाएगा।
- 07) चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते समय अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूलप्रति सत्यापन के लिए उपलब्ध करानी होगी।
- 08) पीएच.डी. पाठ्यक्रम के नियमित होने की वजह से किसी संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को पीएच.डी. अथवा सर्विस दोनों में किसी एक को चुनना पड़ेगा।
- 09) विश्वविद्यालय परिसर अथवा छात्रावास में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वाले छात्र/छात्राओं के ऊपर कड़ी/कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- 10) यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र में दी गई कोई सूचना गलत पाई गई, उसका प्रवेश यदि उस सूचना के आधार पर दिया गया हो, स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- 11) प्रवेश के संबंध में किसी मामले में विवाद केवल नागपुर/वर्धा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

8. विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएँ

विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है –

- 01) छात्रों को शहर से परिसर ले आने और जाने के लिए रियायती शुल्क पर बस की सुविधा।
- 02) प्रत्येक को इंटरनेट की सुविधा।
- 03) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एम.ए. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मेधा छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- 04) अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क में (विद्यापरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में) छूट दी जाएगी।
- 05) विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के आधुनिकतम संसाधनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में एक कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहाँ न सिर्फ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, बल्कि कंप्यूटर के अनिवार्य-शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को शोध और ज्ञान की अधुनातन प्रविधियों से भी अवगत कराया जाता है।
- 06) विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में न सिर्फ वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रमों को केंद्रित करते हुए बल्कि भविष्य में करणीय अधुनातन शोध की दिशाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं का एक व्यवस्थित और विशाल संग्रह किया जा रहा है। जहाँ एक ओर सभी विषयों से संबंधित नवीनतम पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह यहाँ उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर हिंदी की पुरानी छपी दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों को 'विश्व हिंदी संग्रहालय' एवं 'अभिलेखागार' में संरक्षित किया जा रहा है।
- 07) रंगशाला/थियेटर : सत्यजीत-रे सिने फिल्म सोसाइटी।
- 08) नाट्य-परिषद् : ब. व. कारंत नाट्य-परिषद्
- 09) संवाद कार्यक्रम।
- 10) **क्रीड़ा और खेलकूद**:- विश्वविद्यालय स्तर का छात्र शारीरिक गतिविधियों तथा संगठित खेलकूद और खेल कार्यक्रमों के महत्व से अवगत होता है जिन्हें उसके शैक्षणिक लक्ष्यों के साथ जोड़ना आवश्यक है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तैयारी और प्रतियोगिताओं में खेलकूद मैदानों/स्थानों तथा क्रीड़ा उपकरणों के रूप में आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करता है।
- 11) विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र विश्वविद्यालय के छात्रों को आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र संचालित किया है।
- 12) **छात्रावास** :- विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेशोपरान्त (नियमित पाठ्यक्रम) छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है।
छात्रावास से संबंधित विश्वविद्यालय में लागू अध्यादेश/नियम के अनुसार छात्रावास में प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। छात्रावास शुल्क एम.ए./एम.फिल. छात्रों के लिए रु. 150/- प्रति माह एवं पीएच.डी. छात्रों के लिए रु. 200/- प्रति माह होगा।
समय-समय पर यू.जी.सी. द्वारा लागू नियम के अनुसार अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रावास में नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। (अंशकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अभ्यर्थी छात्रावास में स्थान के पात्र नहीं है।)

विवरणिका आवेदन प्राप्ति और जमा करने का पता का २०१०-११

उपकुलसचिव (अकादमिक)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

गांधी हिल्स, वर्धा-४४२ ००१ (महाराष्ट्र) भारत

फ़ोन : (०७१५२) २५१६६१ फ़ैक्स : (०७१५२) २३०९०३

ई-मेल : hindiuni_wda@sanchrnet.in, info@hindivishwa.org

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

अकादमिक कैलेण्डर : २०१०-११

१. आवेदन प्रपत्र सहित विवरणिका प्राप्त करने की तिथि : ०१ से ३० अप्रैल, २०१०
२. आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि : ०१ से ३० अप्रैल, २०१०
३. लिखित प्रवेश-परीक्षा तिथि (एम.ए./एम.फिल.) : २२ एवं २३ मई, २०१०
४. एम.ए. साक्षात्कार तिथि : २५ एवं २६ जून, २०१०
५. एम. फिल. साक्षात्कार तिथि : २७ एवं २८ जून, २०१०
६. पीएच.डी. (लिखित परीक्षा—मुख्यालय वर्धा में) : २४ मई, २०१०
७. पीएच.डी. (अंतरक्रियात्मक सत्र/सामूहिक चर्चा/साक्षात्कार) (मुख्यालय वर्धा में) : २९ एवं ३० जून, २०१०

शैक्षणिक सत्र

१. प्रथम/तृतीय छमाही (मानसून सत्र) : १५ जुलाई, २०१० से १० दिसम्बर, २०१० तक
२. द्वितीय/चतुर्थ छमाही (शीत सत्र) : २७ दिसम्बर, २०१० से ०६ मई, २०११ तक

सत्रांत अवकाश

- शीतावकाश : ११ दिसम्बर, २०१० से २६ दिसम्बर, २०१० तक
ग्रीष्मावकाश : ०७ मई, २०११ से ३० जून, २०११ तक

लीला

‘लीला’ (Laboratory in Informatics for the Liberal Arts) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित सूचना-प्रौद्योगिकी अनुषंग है।

इक्कीसवीं सदी की विश्वव्यवस्था में सामान्यतः और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषतः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की केंद्रीय उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अभिकलन (computing) से प्रगाढ़ व्यावहारिक परिचय को अनिवार्य पाठ्यचर्या के रूप में अपनी पाठ्यसंहिता के अंतर्गत रखा है।

विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में अभिकलन-आधारित पाठ्यचर्याओं का निर्धारण एवं शिक्षण, अभिकलनमूलक स्वतंत्र पाठ्यक्रमों को चलाना, ‘लीला’ की जिम्मेदारियाँ हैं। संक्षेप में, विश्वविद्यालय की अभिकलन प्रस्तुति की सूत्रधारिता ‘लीला’ का कार्य है।

‘लीला’ ने अपनी योजनाओं में भावी अभिकलन (futuristic computing) को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से लेकर पाठ्यचर्या निर्माण तक अपनी गतिविधियों को मुक्त सॉफ्टवेयर (free software) पर आधारित किया है।

कंप्यूटर प्रयोगशाला

शिक्षा के आधुनिकतम संसाधनों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में एक कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहाँ न सिर्फ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है बल्कि कंप्यूटर के अनिवार्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को शोध और ज्ञान की अधुनातन प्रविधियों से भी अवगत कराया जाता है।

पुस्तकालय

विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में न सिर्फ चल रहे पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर बल्कि भविष्य में अधुनातन शोध की दिशाओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध-पत्रिकाओं का एक व्यवस्थित और विशाल संग्रह किया जा रहा है। सभी विषयों से संबंधित नवीनतम पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही, हिंदी की पुरानी छपी हुई पुस्तकों का एक अभिलेखागार भी यहाँ तैयार किया जा रहा है।

केंद्रीय पुस्तकालय के अलावा प्रत्येक विभाग में विभागीय पुस्तकालय की व्यवस्था भी की गई है।



उद्देश्य :

- ❖ परम्परागत व्यवस्था से लाभ उठाने से वंचित रहने वालों को उच्च शिक्षा में बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना।
- ❖ वृहत हिंदी-भाषी समुदाय हेतु उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा में अत्याधुनिक, तकनीकी एवं विशिष्ट अनुशासनों के अवसरों में वृद्धि करना।
- ❖ हिंदी माध्यम से डिग्री प्राप्त करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- ❖ नवस्नातकों को पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति पर रोजगार के नए एवं बेहतर अवसरों की ओर उन्मुख करने हेतु रोजगारपरक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना।
- ❖ शिक्षा की इस पद्धति द्वारा हिंदी में “वैकल्पिकता” प्राप्त करने को बढ़ावा देना।
- ❖ विश्वविद्यालयों की वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में बेहतर अंतरसम्बद्धता उपलब्ध कराने का सक्षम प्रयास करना।

नोट : विस्तृत विवरण के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की विवरणिका देखें। इस संदर्भ में जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। 📞 255360 (07152)



एम.ए. पाठ्यक्रम

शुल्क का भद्र	भाषा प्रौद्योगिकी	कम्प्युटरनाल लिनिवस्टिक्स	इन्फॉर्मेटिक्स एण्ड लैकेज इंजीनियरिंग	तुलनात्मक साहित्य	नाट्यकला एवं फिल्ल अड्ययन	अहिसा एवं शांति अड्ययन	स्त्री अड्ययन	जनसंघार	दलित एवं जनशांति अड्ययन	मानवशास्त्र	समाजकार्य	बौद्ध	अनुधाद प्रौद्योगिकी
प्रवेश शुल्क	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50
उभाही शिक्षण शुल्क	500	1 500	1 500	500	800	500	500	800	500	800	800	500	500
सुरक्षा शुल्क (प्रत्यर्पणीय)	2 50	2 50	2 50	2 50	1 000	2 50	2 50	1 000	2 50	1 000	2 50	2 50	2 50
स्टुडियो/प्रयोगशाला शुल्क	2 00	1 500	1 500	0 00	1 500	0 00	0 00	1 500	0 00	500	0 00	0 00	2 00
पुस्तकालय शुल्क (वार्षिक)	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50
सांस्कृतिक कार्यक्रम/खेदकुद शुल्क (वार्षिक)	0 7 5	0 7 5	0 7 5	0 7 5	0 7 5	0 7 5	0 7 5	0 7 5	0 7 5	0 7 5	0 7 5	0 7 5	0 7 5
परिचय पत्र शुल्क	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20
इंटरनेट शुल्क (वार्षिक)	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00
विकिल्सा शुल्क (वार्षिक)	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50
क्षेत्रकार्य/परियोजना शुल्क*	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
कुल	1 4 9 5	3 7 9 5	3 7 9 5	1 2 9 5	3 8 4 5	1 2 9 5	1 2 9 5	3 8 4 5	1 2 9 5	2 8 4 5	1 5 9 5	1 2 9 5	1 4 9 5

* ढगुर्ष उभाही नें परियोजना/क्षेत्रकार्य के अनुसार विभाग शुल्क निवर्तित किया जाएगा जो विद्यार्थियों द्वारा ढगुर्ष उभाही नें देय होगा।

एम.फिल. पाठ्यक्रम

शुल्क का मद	भाषा प्रौद्योगिकी	तुलनात्मक साहित्य	अहिंसा एवं शांति अध्ययन	स्त्री अध्ययन	जनसंचार	मानवशास्त्र	अनुवाद प्रौद्योगिकी	दलित एवं जनजाति अध्ययन	समाजकार्य	डायस्पोरा अध्ययन
प्रवेश शुल्क	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
छमाही शिक्षण शुल्क	500	500	500	500	800	800	500	500	500	800
सुरक्षा शुल्क (प्रत्यर्पणीय)	250	250	250	250	1000	1000	250	250	250	1000
स्टुडियो/प्रयोगशाला शुल्क	200	000	000	000	1500	000	200	000	200	000
पुस्तकालय शुल्क (वार्षिक)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
सांस्कृतिक कार्यक्रम/खेदकुद शुल्क (वार्षिक)	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
परिचय पत्र शुल्क	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020
इंटरनेट शुल्क (वार्षिक)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
चिकित्सा शुल्क (वार्षिक)	050	050	050	050	050	050	050	050	050	050
क्षेत्रकार्य/परियोजना शुल्क	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
कुल	1545	1345	1345	1345	3895	2395	1545	1345	1545	2395

पीएच.डी. पाठ्यक्रम

शुल्क का मद	भाषा प्रौद्योगिकी	इन्फॉरमेटिक्स एण्ड लैंग्वेज इंजीनियरिंग	तुलनात्मक साहित्य	अहिंसा एवं शांति अध्ययन	स्त्री अध्ययन	जनसंचार	मानवशास्त्र	अनुवाद प्रौद्योगिकी	डायस्पोरा
पंजीकरण शुल्क	300	300	300	300	300	300	300	300	300
स्टुडियो/प्रयोगशाला शुल्क (वार्षिक)	1000	1000	000	000	000	1000	000	1000	000
पुस्तकालय शुल्क (वार्षिक)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
सुरक्षा राशि (प्रत्यर्पणीय, सिर्फ प्रवेश के समय)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
परीक्षा शुल्क (शोध प्रस्तुति के समय)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
चिकित्सा शुल्क (वार्षिक)	050	050	050	050	050	050	050	050	050
इंटरनेट शुल्क (वार्षिक)	500	500	500	500	500	500	500	500	500
सांस्कृतिक कार्यक्रम/खेलकूद शुल्क (वार्षिक)	075	075	075	075	075	075	075	075	075
परिचय पत्र शुल्क	020	020	020	020	020	020	020	020	020
कुल	4245	4245	3245	3245	3245	4245	3245	4245	3245

सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम

शुल्क का मर	पी.जी. डिप्लोमा फॉरसिक साइंस	पी. जी डिप्लोमा हिंदी (अनुवाद)	सी.सी.ए.	डी.सी.ए.	विश्व भाषा हिन्दी	संस्कृत	तुलनात्मक साहित्य	हिन्दुस्थानी	रबी अध्ययन	पालि	बौद्ध अध्ययन	विदेशी भाषा
प्रवेश शुल्क	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
शिक्लण शुल्क (प्रति छात्राही)	1000	750	1000	2000	1000	500	750	750	750	750	750	1500
इंटरनेट शुल्क	200	000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
प्रयोगशाला शुल्क (वार्षिक)	2500	000	750	750	00	00	00	00	00	00	00	00
परीक्षा शुल्क (प्रति छात्राही)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
सुरक्षा शुल्क (प्रत्यर्थाग्य)	1000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
पुस्तकालय शुल्क (वार्षिक)	50	050	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
निकित्सा शुल्क	50	050	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
परिचय पत्र शुल्क	20	020	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
परियोजना/क्षेत्रकार्य*	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
सांस्कृतिक कार्यक्रम/ खेलकूद शुल्क	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
कुल	5345	1645	2645	3645	1895	1395	1645	1645	1645	1645	1645	2395

अंतिम छात्राही में परियोजना/क्षेत्रकार्य के अनुसार विभाग द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाएगा जो विद्यार्थियों द्वारा अंतिम छात्राही में देय होगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण

- कुलाध्यक्ष : महामहिम प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
- कुलाधिपति : डॉ. नामवर सिंह
- कुलपति : श्री विभूति नारायण राय
- प्रति कुलपति : प्रो. नदीम हसनैन
- कुलानुशासक : प्रो. मनोज कुमार

- अधिष्ठाता भाषा विद्यापीठ : प्रो. उमाशंकर उपाध्याय
 - विभागाध्यक्ष : भाषा-प्रौद्योगिकी विभाग : प्रो. उमाशंकर उपाध्याय
 - विभागाध्यक्ष : कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान विभाग : प्रो. महेन्द्र कुमार सी. पाण्डेय
 - निदेशक : प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र : प्रो. महेन्द्र कुमार सी. पाण्डेय
 - निदेशक : भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र : ---

- अधिष्ठाता साहित्य विद्यापीठ : प्रो. सूरज पालीवाल
 - विभागाध्यक्ष : साहित्य विभाग : प्रो. सूरज पालीवाल
 - विभागाध्यक्ष : नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन विभाग : ---

- अधिष्ठाता संस्कृति विद्यापीठ : प्रो. मनोज कुमार
 - विभागाध्यक्ष : अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग : प्रो. नृपेन्द्र प्र. मोदी
 - विभागाध्यक्ष : स्त्री अध्ययन विभाग : प्रो. इलीना सेन
 - विभागाध्यक्ष : जनसंचार विभाग : प्रो. अनिल कुमार राय
 - विभागाध्यक्ष : मानव विज्ञान विभाग : प्रो. नदीम हसनैन
 - निदेशक : डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र : प्रो. लेला कारुण्यकारा
 - निदेशक : महात्मा गांधी फ्यूजी-गुरुजी शांति अध्ययन केंद्र : प्रो. मनोज कुमार
 - निदेशक : डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र : डॉ. एम. एल. कासारे

- अधिष्ठाता : अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ :
- विभागाध्यक्ष : अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग :
- विभागाध्यक्ष : डायस्पोरा अध्ययन विभाग :

प्रो. आत्मप्रकाश श्रीवास्तव

प्रो. आत्मप्रकाश श्रीवास्तव

- अधिष्ठाता : छात्र-कल्याण :

● निदेशक : दूरस्थ शिक्षा :

● कुलसचिव :

● वित्ताधिकारी :

● परीक्षा नियंत्रक :

● उप कुलसचिव

प्रो. उमाशंकर उपाध्याय

प्रो. नदीम हसनैन

डॉ. कैलाश खामरे

श्री मुहम्मद शीस ख़ान

डॉ. कैलाश खामरे

1. श्री पी. सरदार सिंह

2. श्री कादर नवाज़ ख़ान

● उप वित्ताधिकारी :

● विशेष कर्तव्य अधिकारी :

श्री प्रेम शंकर

1. श्री राकेश

2. श्री नरेन्द्र सिंह

● सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष :

● सहायक कुलसचिव :

● जनसंपर्क अधिकारी :

श्री आनन्द मण्डित मलयज

श्री सुशील बी. पखीडे

श्री बी.एस. मिरगे



ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम १९९७, क्रमांक ३ के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

मानस मन्दिर पोस्ट ऑफिस, गांधी हिल्स, वर्धा-442 001 (महाराष्ट्र)

फोन : (07152) 251661, फोन-फैक्स : 230 903

ई-मेल : info@hindivishwa.org, वेबसाइट : www.hindivishwa.org

हिंदी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि और विकास
हिंदी में आधुनिक विमर्शों और अंतरानुशासनिक विषयों का अध्ययन एवं शोध
हिंदी को अधिक प्रकार्यात्मक दक्षता और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में
मान्यता दिलाने के लिए स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय

एक विकल्प

गतिशील, खुला और शैक्षणिक स्थापत्य में काफी लचीला

एक अवधारणा

सबके साथ मैत्री, अपनी समेत सबकी संस्कृतियों का सम्मान

एक अभिप्राय

दूसरों के रुख के लिए जगह, अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों के लिए पहुँच-रास्तों का जाल

हिंदी

सृजन और विवेक के साथ-साथ ज्ञान, बुद्धि और जिज्ञासा की भाषा
भारत और संसार की बहुभाषिकता के लिए प्रतिबद्ध
सेवाग्राम से कुछ दूर वर्धा में एक नया आश्रम
भाषा, साहित्य, संस्कृति और अनुवाद के चार विद्यापीठ

